रिट याचिका (सिविल) सं0–309/2003,330/2001,44/2004 एवं 688/2007 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में राज्य में वधशाला के लिए गठित कमिटि का दिनांक–11.03.2015 को अप0 5.00 बजे प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

01. श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
02. श्री नर्मदेश्वर लाल, सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
03. श्री सुनिल कुमार, महानिरीक्षक, (बजट, अपील एवं कल्याण) पुलिस मुख्यालय, पटना।
04. श्री देवनन्दन यादव, अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना।
05. श्री राकेश कुमार, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना।
06. डॉ0 अरविन्द कुमार शर्मा, उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार।
07. श्री मुकेश जी कश्यप, खाद्य संरक्षा अधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

1. विगत बैठक दिनांक–11.02.14 की कार्यवाही पर चर्चा की गयी।

2. इस राज्य में वधशाला के लिए गठित कमिटि में दो और सदस्यों को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सभी नगर निकायों एवं जिलाधिकारियों से Slaughter House की सूची की मांग की जाय।

4. सभी जिलाधिकारियों को जिला मुख्यालय में आधुनिक वधशाला निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए पुनः स्मारित करने का निर्णय लिया गया।

5. पशुपालन विभाग द्वारा बताया गया है कि पशु क्रुरता पर सभी जिलाधिकारियों के साथ पत्राचार हुआ है। सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत चल रहे वधशालाओं का Random Visit कर प्रतिवेदन समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करायें।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.08.13 को पारित न्यायादेश की कंडिका–4 (viii) के अनुपालन हेतु सभी जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को मुख्य सचिव, बिहार की ओर से पत्र लिखा जाय। इसके लिए शीघ्र प्रारूप दिया जाय।

7. SPUR से इस विषय पर एक Consultant लिया जाए। आधुनिक वधशाला के निर्माण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाय तथा इसमें Stake Holder को बुलाया जाय एवं उन्हे प्रशिक्षण दिया जाय। Shlaughter House/meat Shop के Modernization के लिए उन्हे प्रेरित किया जाय।

8. अगली बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं प्रबंध निदेशक, बुडको को भी आमंत्रित किया जाय।

9. नगर निकाय/विभाग के स्तर से Slaughter House/meat Shop के आधुनीकीकरण एवं इससे संबंधित क्रियाकलाप के बारे में राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाय।

10. मुख्य खाद्य संरक्षा अधिकारी से Model Meat Shop का Design उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाय।

11. श्री विनय कुमार सिंह, समिति के संयोजक द्वारा बधशाला के निरीक्षण के दौरान संबंधित नगर निकाय एक पदाधिकारी उनके साथ प्रतिनियुक्त करेंगे। समिति संयोजक द्वारा अपना निरीक्षण कार्यक्रम संबंधित नगर निकाय को पूर्व से सुचित करेंगे।

12. श्री विनय कुमार सिंह जिस तिथि से संयोजक के रूप में कार्यभार ग्रहण किये हैं उसी दिन से उन्हे भुगतान किया जायेगा।

13. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के Guide line जो इससे संबंधित है, सभी जिलाधिकारी/आरक्षी अधिक्षक को मुख्य सचिव, बिहार की ओर से उपलब्ध कराया जाय एवं पुलिस मुख्यालय स्तर से भी सभी पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

14. . प्रत्येक सोमवार को होने वाली अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक में नगर आयुक्त, पटना नगर निगम एवं प्रबंध निदेशक, बुडको को बुलाया जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–03/न्या0–16–01/2015 1593 दिनांक– 19/3/15
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं कमिटि के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.15
प्रधान सचिव।
19.3.15

(81)